भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6AAC 801406

Principal
Sarvodaya Public School
Ram Park, Ghaz, UP

Principal
Sarvodaya Public School
Ram Park, Ghaz, UP

संविदा- विलेखनामा

1- [illegible] : [illegible]।
2- [illegible] : [illegible]।
3- [illegible] : [illegible]।
4- [illegible] : [illegible]।
5- [illegible] :

[illegible]

[illegible]

Principal
Sarvodaya Public School
Ram Park, Ghaz, UP

Scanned with CamScanner

/12/

- शैक्षिक सत्र :-

[illegible] अनुसार सत्र का प्रारम्भ कक्षाओं की शैक्षिक गतिविधि के साथ जुलाई सत्र की एक तुलना रु. 1150/- मात्र लेकर [illegible] तुलना की [illegible] है, जिसे [illegible]।

- [illegible] :-

[illegible] अनुसार सत्र का प्रारम्भ कक्षाओं की शैक्षिक गतिविधि के साथ जुलाई सत्र की एक तुलना रु. 200/- वार्षिक दिन, सत्र का [illegible]।

- [illegible] की समिति :-
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

5- [illegible]

10- [illegible] :-

[illegible] :-

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

[illegible]

[illegible] :-

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

Principal
Gurukulam Public School
Ram Park, East, GZP

Scanned with CamScanner

6- [illegible]

7- [illegible]

8- [illegible]

9- [illegible]

10- [illegible]

[illegible] :-

[illegible] :-

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

Principal
Gurukulam Public School
Ram Park, East, GZP

Scanned with CamScanner

12- शिक्षकों/शिक्षकेतर के समेकित वेतन :-

[illegible] के समान शिक्षकों व शिक्षिकाओं के एकीकृत वेतन नियम [illegible] द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा तय की जायेगी।

13- अनुपूरी कार्यालय :- संस्था की समस्त अनुपूरी कार्यालयों के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

14- आय व्यय हिसाब परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक अंकेक्षण अंकेक्षक [illegible] द्वारा कराया जायेगा जो कि पंजी अधिनियम के 11 धारा द्वारा का होगा।

15- संस्था का सील :- संस्था का सील शिक्षा के उद्देश्यानुसार बिना आवश्यक [illegible] संस्था के प्रबन्धक एवं मीनेजमेन्ट की सहमति [illegible] से होगा।

16- [illegible] :- [illegible] परिषद, कार्यकारी परिषद, वार्षिक परिषद, [illegible], [illegible] पूरा [illegible] जो भी [illegible] की जायेगा।

17- [illegible] नियम :

1. विद्यालय की परिषद परिषदों का [illegible] का [illegible] कराया जायेगा।
2. विद्यालय की कार्यकारिणी में बिना शिक्षक [illegible] सदस्य [illegible]।
3. विद्यालय में कम से कम 10 शिक्षक स्थायी अनुमोदित पदों/ [illegible] के रिक्त पदों के लिए पूर्णकालिक [illegible] और उनकी [illegible] कार्यकारिणी / [illegible] [illegible] प्रबन्धक कार्यकारिणी में शिक्षण [illegible] के लिए निर्धारित कुल से अधिक कुल [illegible] किया जायेगा।
4. [illegible] के किसी अनुदान की [illegible] नहीं [illegible] और यदि कुछ [illegible] विद्यालय कार्यकारिणी / [illegible] शिक्षा परिषद के [illegible] द्वारा [illegible] विद्यालय कार्यकारिणी/ परिषद/ [illegible] पत्र [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] कार्यकारिणी / [illegible] [illegible] द्वारा [illegible]

Principal
Saraswatiya Public School
New Park, Lucknow

Scanned with CamScanner

5. [illegible] शिक्षकों की [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
6. कार्यकारिणी की [illegible] कार्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कार्यकारिणी के कार्यालयों के अनुसार [illegible] का [illegible] [illegible]।
7. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
8. विद्यालय का [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible]।
9. [illegible] [illegible] [illegible] की धारा 233 से 237 तक के अन्तर्गत [illegible] [illegible] के [illegible] को [illegible] कुल [illegible] [illegible] के [illegible] की [illegible] की जायेगी।
10. [illegible] [illegible] के [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

11. [illegible] की [illegible] :-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [